संख्या– 1116/43–2–2008–15/2(7)/07

प्रेषक,

नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से)
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 दिनांक 16 अक्टूबर, 2008

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारियों हेतु मार्ग निर्देशिका।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या–भा0स0–16+43–2–2008 पत्रावली संख्या–15/2(7)/07, दिनांक 14 जुलाई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या–26 में जनसूचना अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सूचना देने वाले जन सूचनाधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–8 अथवा 9 में निहित प्राविधानों के अनुसार यदि सूचना के लिए आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध को सूचना प्रकटीकरण से छूट के अन्तर्गत नामंजूर किया गया है तो ऐसी स्थिति में जनसूचना अधिकारी का यह विधिक दायित्व है कि वह आवेदक की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा–7(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित जानकारी दें :–

(i) अस्वीकृति के कारण,
(ii) अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरूद्ध अपील दायर की जा सके, और
(iii) उस प्राधिकारी का ब्यौरा जिससे अपील की जा सकती है।

3. जनसूचना अधिकारियों द्वारा सूचनायें देते समय उक्त विधिक प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा जा रहा है जिससे नागरिकों द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी की जानकारी के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा–18 के अंतर्गत सूचनायें प्राप्त न होने की शिकायत सीधे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दर्ज करायी जा रही है। इससे जहॉ एक ओर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के कार्यो में अनावश्यक वृद्धि हो रही है, वहीं नागरिकों को भी अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/संस्थाओं/बोर्ड/आयोग आदि के प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में नामित जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित करें कि उपरोक्तानुसार सूचनायें देते समय अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त जानकारी अवश्य दी जाय।

कृपया उपर्युक्त विधिक निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

16/8/08

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।